भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2455

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

ऋण चूककर्ता

2455. श्रीमती माला राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ऋण चूककर्ताओं के संबंध में आंकड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन चूककर्ताओं की संख्या कितनी है, जिन पर 5 करोड़ रुपये से कम का बकाया है; और

(घ) चूककर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 2,05,58,528 अनर्जक आस्ति खाते (एनपीए) हैं, जिनमें से 2,04,21,889 खाते ऐसे हैं जिनमें एनपीए की मात्रा 5 करोड़ रुपए तक या इससे कम है।

चूककर्ताओं से ऋण की वसूली करने के लिए बैंक उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों, जैसे सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करके, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करके, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करके, बात-चीत के द्वारा निपटान/समझौते के माध्यम से और अनर्जक आस्तियों की बिक्री करके इस प्रकार के खातों के संबंध में कार्रवाई करते हैं।

*****